न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 79/2018
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2018/00151

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट		1. गेनाराम पुत्र रतनाराम 2. वजाराम पुत्र गमनाराम, जाति पटेल निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार सुरेन्द्र सिंह लबाना
–: निर्णय :–

दिनांक :– 01.10.2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1563/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना उपस्थित हुए। अप्रार्थी के नाम जारी नोटिस बाद तामिल भी वक्त बहस न्यायालय में बार–बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित आये। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को वक्त बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा पटवार मण्डल लालकी तहसील रोहट के खसरा संख्या 285/12 रकबा 15 बीघा भूमि वर्तमान जमाबन्दी संवंत् 2072–75 के अनुसार अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जैर आराजी की पूर्व में किस्म मिसल बन्दोबस्त संवंत् 2017 के अनुसार गैर मुमकिन दर्ज थी। जैर आराजी की किस्म भूमि एकीकरण के पूर्व/पश्चात गैर मुमकिन नदी से बारानी अव्वल दर्ज हुई। जैर आराजी अप्रार्थीगण को संवंत् 2030 में आवंटन/नियमन की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी होने से यह भूमि प्रतिबन्धित भूमि में आती है। अतः जैर आवंटन/नियमन धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत जाकर किया गया जो कि नियम विरूद्ध होने से रेफरेन्स किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाते हुए जैर आवंटन को निरस्त कर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित करावे।

जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की किस्म में

Scanned with ACE Scanner

आती है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से पाया कि पत्रावली पर केवल जमाबन्दी संवंत् 2072 का रिकॉर्ड है, सन् 1947 के रिकॉर्ड के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट जाहिर हो सके कि वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज हो, न ही पत्रावली पर जैर आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध है जिसकी पालना में नामान्तरकरण खोले गये हो। उक्त दस्तावेज को न्यायालय में पेश किये जाने बाबत् प्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा बार–बार जरिये पत्राचार अवगत करवाये जाने के उपरान्त भी आज दिनांक तक जैर आराजी के संबंध में सन् 1947 के रिकॉर्ड तथा जैर आवंटन आदेश के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है व अपने पत्रांक 600 दिनांक 21.08.2024 द्वारा उक्त रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत् अवगत करवाया है। लिहाजा उक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गैर मुमकिन नदी थी। आवंटन की पात्रता का निर्धारण वक्त आवंटन भूमि की किस्म से किया जाना है, जबकि वक्त आवंटन भूमि की किस्म के संबंध में कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। उक्त आवंटन वर्ष 1973 में होने के बाद यह आवंटन/नियमन निरस्त कराने हेतु सन् 2018 अर्थात् करीब 45 वर्षों के लम्बे अरसे बाद आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने के लिए बिना कोई ठोस आधार के प्रस्तुत किया।

उपरोक्तानुसार हम प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को रेफरेन्स किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं पाते है। अतएव जैर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन बलहीन होने से अस्वीकार किया जाकर लौटाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक **01.10.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया. जाकर शामिल मिसल किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर,
पाली

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner